

(राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम 196 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम 196 के अन्तर्गत

प्रशासन गांधी के नम-2021



राजस्थान ग्राम हिशोरिया पंचमं हिशोरिया

मूअंनिवृत्त दाहलीना

तहसील- शंभापुराभटा

प्रस्तावित प्रविष्टि

क्र. सं. खाला सं. खसरा नंबर

वर्तमान खाला का विवरण

प्रस्तावित प्रविष्टि

वि०दि०

1. 2. 3. 4.

577 346 0.13

561 0.86

627 0.20

628 0.20

633 0.14

5. 6.

7.

उत्पत्तिक निसाल / जमाबन्दी सवत 2001 के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकारण अन्तर्गत धारा 136 राज० मू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रवण योग्य है।

सांखिक राजस्व रिकार्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाला में शुद्धि किया जाना उचित है।

पं०हल्का हिशोरिया मू०अंनि० दाहलीना की रिपोर्ट व सांखिक रिकार्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दोबस्त सकियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।

पं०हल्का हिशोरिया मू०अंनि० दाहलीना के राजस्व अधिकारी के रिपोर्ट व सांखिक रिकार्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हालत जमाबंदी में अमल किया जावे।

6595

28/10/25

28/10/25

दिनांक 28/10/25

दिनांक

दिनांक

दिनांक

मू० अंनि० मू० अंनि०

मू० अंनि० मू० अंनि०

मू० अंनि० मू० अंनि०

मू० अंनि० मू० अंनि०

मू० अंनि० मू० अंनि०

मू० अंनि० मू० अंनि०

मू० अंनि० मू० अंनि०

मू० अंनि० मू० अंनि०

मू० अंनि० मू० अंनि०

मू० अंनि० मू० अंनि०